

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा, सीकर हाल सिधाना जरिये अध्यक्ष रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तह0 खेतडी जिला झुझुनु ने अपने स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम ढाणी हुक्मा, ग्राम पंचायत बुहाना तहसील बुहाना स्थित ख0न0 677/400 रकबा 1.06 है0 किस्म बारानी-2 में से 0.75 है0 (7500 वर्गमी0) भूमि का संस्थागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अंतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(2) एवं राजस्व (गुप-6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना कमांक एफ6(5)रेव-6/92/पीटी/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	आवेदक श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा, सीकर हाल सिधाना जरिये अध्यक्ष रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तह0 खेतडी जिला झुझुनु
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम ढाणी हुक्मा, ग्राम पंचायत माकंडो तहसील बुहाना खसरा संख्या 677/400 रकबा 1.06 है0 खसरा संख्या 677/400 रकबा 1.06 है0 में से 0.75 है0 (7500 वर्गमी0)
टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व गवश के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक प्रयोजनार्थ (शिक्षण संस्था)
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	चालान संख्या 162 दिनांक 27-4-15 राशि 74,040/-रु0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
- (1) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा। तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।
 - (2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
 - (3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।
 - (4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्त दिनांक 17-7-2007 तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 24-10-07 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा अभिशमन संबंधी सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी।
 - (5) शिक्षण संस्था हेतु गौडल भवन विनियम 2010(संशोधित) में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
 - (6) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखा होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा।
 - (7) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समग्रहृत हो जायेगा।
 - (8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
 - (9) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
 - (11) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
 - (12) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुझुनू
दिनांक :- 15/5/2015

क्रमांक प 12(3)(49)राज/2014/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।
2. उप खण्ड अधिकारी बुहाना।
3. तहसीलदार/उप पंजीयक बुहाना।
4. सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बुहाना।
5. सचिव, ग्राम पंचायत माकड़ों पं० सं० बुहाना जिला झुझुनू।
- ✓ 6. आवेदक श्रवणी देवी शिक्षा समिति गोकुलपुरा सीकर हाल सिधाना जरिये अध्यक्ष रेखा देवी पत्नी परमानन्द जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तह० खेतड़ी जिला झुझुनू।
7. गार्ड फाईल

(सलविन्द्र सिंह माहता)
जिला कलेक्टर, झुझुनू